

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

नेहरू सहकार भवन, कमरा नं. 219-220, द्वितीय तल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज0) फोन नं. 0141-2744969

क्रमांक ५६७-५२०४

दिनांक : २५/३/१२

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट घोषणा 2011 के अनुसरण में RKCL (राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.) के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने हेतु बैच तैयार कर प्रशिक्षण कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में RKCL द्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रशिक्षण (RS-CIT) हेतु 3000 अल्पसंख्यक युवाओं को, अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्रशिक्षण (RS-CEL) में 1000 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं तथा 1000 अल्पसंख्यक बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर दक्षता प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभागवार व जिलेवार सीटें आवंटित कर प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है –

संभाग स्तर पर सीटों का आवंटन :-

क्र.सं.	संभाग	कोस का नाम		
		RS-CIT	RS-CIT (Woman)	RS-CEL
1.	जयपुर	250	50	
2.	जोधपुर	170	50	50
3.	उदयपुर	100	50	50
4.	बीकानेर	100	50	50
5.	कोटा	100	50	50
6.	भरतपुर	100	50	50
7.	अजमेर	100	50	50
कुल योग		920	350	350

जिले स्तर पर सीटों का आवंटन :-

क्र.सं.	जिले	कोस का नाम		
		RS-CIT	RS-CIT (Woman)	RS-CEL
1.	26 जिले	80	25	25
कुल योग		2080	650	650

उक्त संभाग/जिलों को लक्ष्य पूरा करने हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की समय सारणी देकर निर्देश दिये जाते हैं कि समय सारणी के अनुरूप लक्ष्य को पूर्ण कर मेरिट आधारित सूची विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। लक्ष्य से अधिक युवाओं का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना भी सुनिश्चित करें।

यदि जिलों/संभाग को आवंटित सीट के अनुसार मैरिट आधारित सूची प्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की समाप्ति तक विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त जिलों/संभाग को आवंटित सीटें दूसरे जिले/संभाग को आवंटित कर दी जाएगी। इस हेतु संबंधित जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को पत्र द्वारा सूचित करना होगा कि वह अपने जिले/संभाग में लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते।

फीस विवरण —

	कोर्स का नाम		
	RS-CIT	RS-CIT (Woman)	RS-CEL
कोर्स फीस	उक्त कोर्स की फीस 2700/-रु. है, उक्त राशि में से आधी फीस 1350/-रु. छात्र-छात्राओं द्वारा तथा आधी फीस विभाग द्वारा वहन की जाएगी।	उक्त कोर्स की फीस 2700/-रु. है तथा उक्त पूर्ण फीस विभाग द्वारा वहन की जाएगी।	उक्त कोर्स की फीस 2500/-रु. है, उक्त राशि में से आधी फीस 1250/-रु. छात्र-छात्राओं द्वारा तथा आधी फीस विभाग द्वारा वहन की जाएगी।
योग्यता	10th Pass	8th Pass	10th Pass
कोर्स अवधि	132 घण्टे	132 घण्टे	100 घण्टे

प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन रथानीय जन प्रतिनिधियों/अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रारम्भ कर विभाग को सूचित करेंगे तथा प्रशिक्षण का समय—समय पर अवलोकन कर सूचना भिजायेंगे। यह सुनिश्चित रहे कि प्रार्थी पूरा कोर्स पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

निदेशक

प्रतिलिपि—

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
- मैनेजिंग डायरेक्टर, RKCL, 7A झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, RTO के पीछे, जयपुर।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.....
- रक्षित पत्रावली

निदेशक

**RKCL द्वारा संचालित RS-CTI व RSCEL कोर्स के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की समय
सारणी एंव दिशा निर्देश :-**

क्र. सं	RS-CIT/RS-CIT women/RSCEL Course Activities	प्रथम बैच हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की दिनांक	द्वितीय बैच हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की दिनांक
1.	उक्त कोर्स हेतु अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित IT ज्ञान केन्द्र में स्वयं जाकर अपना आवेदन Online करना होगा तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने आवेदन कार्यालय में जमा किए हैं तो आवेदन पत्र DLC के माध्यम से दी गई दिनांक तक Online कराना होगा।	16 अगस्त से 6, सितम्बर, 2012	10, सितम्बर से 28, सितम्बर, 2012
2.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अन्तिम दिनांक को सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट से उनको आवंटित सीटों के अनुरूप अनुमोदन कर निदेशालय को भिजवाई जानी है।	शुक्रवार, 16, सितम्बर, 2012	8, अक्टूबर, 2012
3.	मेरिट में आए अनुमोदित अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं द्वारा सम्बन्धित कोर्स की फीस सम्बन्धित IT ज्ञान केन्द्र में जमा करने तथा उक्त केन्द्र में रिपोर्टिंग की दिनांक	सोमवार, 28 सितम्बर, 2012	15, अक्टूबर, 2012
4.	उक्त कोर्स के प्रशिक्षण की दिनांक	28, सितम्बर, 2012 से 20, दिसम्बर, 2012 तक	15, अक्टूबर, 2012 से 20, दिसम्बर, 2012 तक
5.	उक्त कोर्स की परीक्षा दिनांक	25-31, दिसम्बर, 2012	25-31, दिसम्बर, 2012

नोट :-

- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि मेरिट लिस्ट में
चयन का आधार 10 वीं के प्राप्तांक होगे।
- Online रजिस्ट्रेशन करने की कोई फीस किसी भी IT ज्ञान केन्द्र द्वारा नहीं ली जाएगी।
- कार्यालय में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को DLC के माध्यम से Online रजिस्ट्रेशन करवाये।